(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2514–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 50/अपील/2012–13.

.....

1–केशव प्रसाद आ0 देवीप्रसाद
निवासी आनंदबाग पिपरिया जिला होशंगाबाद
2–घनश्याम पुत्र स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
3–पवनकुमार पुत्र स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
4–साबित्री बाई पुत्री स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
5–सविताबाई पुत्री स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
6–कविताबाई पुत्री स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
7–मनोरमाबाई पुत्री स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
8–शिवदत्त पुत्र स्व0मंगलप्रसाद उर्फ सदानंद
समस्त निवासी ग्राम कन्हवार तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद
2–श्रीमती कमलाबाई पुत्री देवीप्रसाद पत्नी शंकर भार्गव
निवासी ईन्द्रा कालोनी हरकूट वेयर हाउस के पास
हथवास पिपरिया जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव , अभिभाषक– आवेदकगण
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/2/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–1–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20–8–2013 को लगभग 18 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 50/अ–6/12–13 दर्ज कर दिनांक 29–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान के महत्व को समझा नहीं गया है और केवल तकनीकी माना है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18 वर्ष से भी अधिक विलम्ब को क्षमा करने में अवधि विधान के प्रावधानों की अवहेलना की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा जानकारी का स्त्रोत एवं दिनांक नहीं बतलाया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुणदोष पर करना चाहिये अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये 1988 जेएलजे 427, 1955 एआईआर(एससी) 425, 2012(1)एमपीएलजे 93 एवं 2004(2) एमपीएलजे 469 के न्यायदृष्टांत के प्रकाश में विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुये आदेश पारित किया गया है ।

(4) तहसीलदार का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसके संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है । सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये, जो कि पूर्णतः उचित कारण है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर